(75)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष :- एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 3417–एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 15.09.2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला विदिशा प्रकरण कमांक 71/अपील/2015–16

रेवाराम पुत्र श्री इमरतलाल कुशवाह
आयु 32 साल, व्यवसाय कृषि
निवासी मोहल्ला कटरा सिरोंज जिला विदिशा (म.प्र.) .....**आवेदक**

विरुद्ध

1. रामसिंह पुत्र श्री धीरज सिंह यादव
   निवासी मोहल्ला मालीपुरा सिरोंज जिला विदिशा (म.प्र.) .....**अनावेदक**
2. अजय सिंह पुत्र श्री गोपीलाल यादव
   निवासी धोबिया वाली गली सिरोंज जिला विदिशा(म.प्र.) .....**तरतीवी पक्षकार**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव
अनावेदक ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी

आदेश

(आज दिनांक 16/1/18 **.....को पारित)**

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला विदिशा प्रकरण कमांक 71/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसील

सिरोंज ग्राम कल्याणपुर की नामांतरण पंजी क. 2 में पारित आदेश दिनांक 17.12.2014 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज के समक्ष अपील पेश की गई। तथा अपील के साथ अवधि विधान की धारा–5 एवं अंतर्गत धारा 44(1) भू–राजस्व संहिता का आवेदन प्रस्तुत किया। जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 15.09.2016 द्वारा स्वीकार किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनावेदक द्वारा आवेदक प्रश्नाधीन को भूमि का विक्रय कर दिया गया है। इसके बाद भी अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र पर अपना ध्यान ही नहीं दिया इसलिए ऐसा आदेश निरस्ती योग्य है।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिए गए हैं कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश न्यायिक एवं विधि सम्मत होने से इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी निरस्ती योग्य है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 15.09.2016 के विरुद्ध पेश की गई है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह प्रकरण नामांतरण का है जिसका निराकरण गुण–दोष के आधार पर किया जाना है। अनावेदक वादित भूमि का खातेदार है। उक्त आधारों पर उन्होंने अनावेदक द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन स्वीकार करते हुए विलंब क्षमा किया जाकर अपील को अवधि के अंदर मान्य किया गया है। विलंब क्षमा करना न्यायालय का विवेकाधिकार है और उसमें तभी हस्तक्षेप किया गया है जब कोई गंभीर वैधानिक त्रुटि हो। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक की ओर से ऐसा कोई ठोस आधार नही बताया गया है जिस कारण आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप आवश्यक हो। प्रकरण का निराकरण

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गुण–दोष पर किया जाना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

परिणामस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर